संख्या-35/2017/690/26-3-2017-10(14)/2007

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 30 मार्च, 2017

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु दिल्ली स्थित उच्च कोटि के कोचिंग केन्द्रों के माध्यम से मुख्य परीक्षा पूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण के लिए धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-89/2016/1179/26-3-2016-10(19)/2007, दिनांक-18.04.2015 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-1882/स0क0/विकास/कोचिंग-दिल्ली-अनु0जा0/2016-17 दिनांक-20.02.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिये जाने से संबंधित योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपया-55.00 लाख (रू0-पचपन लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-27.50(रूपये सत्ताइस लाख पचास हजार मात्र) को अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं को पूर्ण कराकर किया जायेगा। योजनान्तर्गत चयनित कोचिंग संस्थाओं तथा लाभान्वित होने वाले अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कराकर धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(3) धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं योजना में धनराशि व्यय किये जाने के लिए निर्धारित नियमावली/स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा। वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016, में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है तथा योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये।

(5) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(6) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष विभाग के लिए उक्त योजना हेतु वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित परिव्यय के अनुरूप ही आवंटन किया जायेगा। इस प्रकार किये गये आवंटन के आदेश की प्रति शासन/नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) के परिपत्र संख्या-9/71/35-आ0-2/91-92, दिनांक-16.08.1999 के निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्व में निर्गत धनराशि एवं अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0118-आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण-(के.0/रा.100-रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)- के नामे डाला जायेगा"।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-353/दस-2016, दिनांक 27 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

संख्या-35/2017/690(1)/26-3-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2.महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4.वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5.वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
6.राज्य योजना आयोग-1/2
7.निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8.बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
9.गार्डफाइल

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in